अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41–DEPARTMENT OF REVENUE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*2,00*
स्वीकृत-	Voted–			
मूल	Original 9645,54,00	12402,91,00	12347,27,31	–55,63,69
पूरक	Supplementary 2757,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			45,19,58
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	2,31,00	1,46,94	–84,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			77,14

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - सामान्य सेवाएं'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.*2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" – "Secretariat - General Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	14071.00	11245.04	10999.85	–245.19
पु.	R.	–2825.96			
मुख्य शीर्ष "2045" वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	Major Head "2045" Other Taxes and Duties on Commodities and Services				
मू.	O.	700.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–700.00			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	8348.00	6636.20	6385.44	–250.76
पु.	R.	–1711.80			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	3657.00	4063.16	3915.32	–147.84
पू.	S.	19.00			
पु.	R.	387.16			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	35533.00	25032.02	24770.81	–261.21
पु.	R.	–10500.98			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	901850.00			
पू.	S.	275718.00	1188618.00	1188618.00	. .
पु.	R.	11050.00			

(I) 1085.00 लाख रु.का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से 690.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2045" - "संग्रहण प्रभार - अन्य कर और शुल्क - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर" के अंतर्गत इंडियन एयरलाइन्स और दिल्ली आयुक्तालय से दावे प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1085.00 remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.690.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2045" – "Collection Charges - Other Taxes and Duties - Inland Air Travel Tax" – due to non-receipt of claims from Indian Airlines and Delhi Commissionerate.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - राजस्व विभाग" के अंतर्गत 3066.99 लाख रु. की बचत (14060.20 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पारितोषिक मामलों/जांचों को अंतिम रूप न दिए जाने, सीएनई द्वारा कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने/अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलम्ब होने, एफईयू-आईएनडी की नेट परियोजना एफआईएन को अंतिम रूप न दिए जाने, कम्प्यूटरों और इसके पैरिफरलों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Revenue" – saving of Rs.3066.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14060.20 lakhs) was due to non-finalisation of reward cases/investigations, non-approval/delay in approval of the computerisation projects by the CNE, non-finalisation of Project FIN net of FIU-IND, less procurement of computers and its peripherals and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2047" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2047" – savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय" - 1607.71 लाख रु. की बचत (5142.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, बकाया राशि का गलत अनुमान लगाए जाने, किराया करार का संशोधन न किए जाने, पारितोषिक मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate" – saving of Rs.1607.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5142.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, incorrect estimation of arrears, non-revision of rent agreement, non-finalisation of reward cases and economy measures.

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को अनुदान" - 102.20 लाख रु. की बचत (1119.41 लाख रु.

(B) "Other Expenditure - Grants to National Institute of Public Finance and Policy" – saving

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलाइड उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''गाजीपुर अफीम कारखाना'' -

(क) ''प्रबन्धन'' - 444.53 लाख रु. की बचत (2211.79 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मुख्य कारखाना नियंत्रक के वित्तीय कक्ष द्वारा खेती से संबंधित कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, अफीम के कम निर्यात की वजह से कम पैकिंग सामग्री की खरीद किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अफीम की खरीद'' - 6940.10 लाख रु. की बचत (8216.26 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फसल नष्ट हो जाने के वजह से अफीम की कम खरीद किए जान, राजस्थान सरकार द्वारा क्रय कर की दर में लगभग 50% की कमी किए जाने के परिणामस्वरूप क्रय कर पर ब्याज की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' - 490.86 लाख रु. की बचत (735.86 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की कम खरीद खरीद किए जाने और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के परिणामस्वरुप कम ब्याज प्रभारों के कारण हुई।

(खा) ''नीमच अफीम कारखाना - अफीम की खरीद'' - 1744.20 लाख रु. की बचत (9976.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फसल नष्ट होने की वजह से अफीम की कम अधिप्राप्ति खरीद किए जाने और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा क्रय कर की दर में लगभग 50% कमी किए जाने के कारण हुई।

of Rs.102.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1119.41 lakhs) was due to requirement of less funds by the Institute.

(IV) Under Major Head "2875" – "Opium and Alkaloid Industries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Ghazipur Opium Factory" –

(a) "Management" – saving of Rs.444.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2211.79 lakhs) was due to requirement of less funds towards cultivation related activities by Central Bureau of Narcotics and Marketing and Financial Cell of Chief Controller of Factories, purchase of less packing materials owing to export of less opium and economy measures.

(b) "Purchase of Opium" – saving of Rs.6940.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8216.26 lakhs) was due to purchase of less opium owing to crop failure, reduction in the rate of Purchase Tax by nearly 50% by Rajasthan Government and non-payment of interest on Purchase Tax on account of stay order by Hon'ble Court.

(c) "Other Expenditure" – saving of Rs.490.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.735.86 lakhs) was due to less procurement of opium and increase in revenue receipts resulting in less interest charges.

(B) "Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium" – saving of Rs.1744.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9976.50 lakhs) was due to less procurement of opium owing to crop failure and reduction in the rate of purchase tax nearly by 50% by Madhya Pradesh and Rajasthan Government.

(गा) ''गाजीपुर अल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन'' - 1732.60 लाख रु. की बचत (4520.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(घा) ''नीमच अल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन'' - 1416.04 लाख रु. की बचत (4953.38 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वर्ष के दौरान आयातित कोडीन फास्फेट की कम मात्रा की खरीद किए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केन्द्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों को अदायगियां - वैट संबंधित व्यय के लिए राज्यों को अनुदान'' के अंतर्गत 26950.00 लाख रु. की बचत (41850.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना लागू किए जाने कमें विलम्ब होने और केवल एक कराधान अध्ययन संस्थान स्थापित किए जाने/का उन्नयन किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 191.15 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत और 59 प्रतिशत था।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (38380.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 275737.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2070''-

(क) ''स्वापक नियंत्रण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण संबंधी व्यय'' - 181.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 167.83 लाख रु. था।

(C) "Ghazipur Alkaloid Works - Management" – saving of Rs.1732.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4520.10 lakhs); and

(D) "Neemuch Alkaloid Works - Management" – saving of Rs.1416.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4953.38 lakhs).

Savings under the above two heads were due to purchase of less quantity of Codein Phosphate imported during the year.

(V) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Other Administrative Services – Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related Expenditure" – saving of Rs.26950.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41850.00 lakhs) was due to delay in approval of implementation of Mission Mode Project for Commercial Taxes and setting up/up-gradation of only one Institute of Taxation Studies.

(VI) Under two heads savings of Rs.191.15 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 36 percent and 59 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.38380.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.275737.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "2070" –

(a) "Narcotics Control - Expenditure on control of Drug Abuse" – Rs.181.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.167.83 lakhs.

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि को अंतरण - 199.00 लाख रु. ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान - संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान - केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति'' - 38000.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2875'' "अफीम और अल्केलायड उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) "नीमच अफीम कारखाना''-

(क) "प्रबंधन'' - 239.40 लाख रु. का अधिक व्यय (1261.86 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अधिक निधियां अंतरित किए जाने एवं समानुपाती व्यय में वृद्धि होने, नए प्लास्टिक कंटेनरों की खरीद किए जाने और विधि काउन्सेल और परामर्शदाता से संबंधित अधिक दावे होने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय'' - 315.66 लाख रु. का अधिक व्यय (138.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान राजस्व में कमी होने की वजह से ब्याज प्रभारों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) "गाजीपुर अल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय'' - 1315.18 लाख रु. का अधिक व्यय (1323.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "नीमच अल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय'' - 119.97 लाख रु. का अधिक व्यय (1876.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अफीम की दर और अल्केलायड औषधियों के उत्पादन के लिए अच्छी गुणता की अफीम के प्रभार में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to National Fund for Control of Drug Abuse" – Rs.199.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Non Plan Grants – Grant to cover up Gap in Resources - Compensation to State Governments for Revenue loss due to phasing out of CST" – Rs.38000.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2875" – "Opium and Alkaloid Industries" – under the following heads:-

(A) "Neemuch Opium Factory" –

(a) "Management" – excess of Rs.239.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1261.86 lakhs) was due to transfer of more funds to the Depreciation Reserve Fund and increase in the proportionate expenditure, purchase of new plastic containers and more claims towards Legal Counsel and Consultant.

(b) "Other Expenditure" – excess of Rs.315.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.138.00 lakhs) was due to increase in interest charges owing to reduction in revenues during the year.

(B) "Ghazipur Alkaloid Works – Other Expenditure" – excess of Rs.1315.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1323.50 lakhs); and

(C) "Neemuch Alkaloid Works - Other Expenditure" – excess of Rs.119.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1876.25 lakhs).

Excess under the above two heads was due to increase in the rate of opium and charging of good quality opium for production of alkaloid drugs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत 66.33 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत थी।

4. In the capital section of the grant, saving of Rs.66.33 lakhs occurred under one head constituting 92 percent of the sanctioned provision.

5. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलाइड फैक्टरियां:-***

5. ***Depreciation of Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचत परिसंपतियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2009-10 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

Account of Depreciation Reserve Fund for 2009-2010 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	गाजीपुर/Ghazipur		**नीमच/Neemuch**	
	अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**
अथशेष/Opening Balance	7,42,90	7,03,14	3,66,20	12,47,05
प्राप्तियां/Receipts	25,50	50,00	25,00	63,00
जमा किया गया ब्याज/Interest Credited	24,45	26,31	19,85	57,35
अदायगियां/Payments	. .	. .	. .	. .
अंतशेष/Closing Balance	7,92,85	7,79,45	4,11,05	13,67,40